न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
136/2024	दावा 88, RTA	26.12.2024	28.03.2025

1. मेहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू
2. हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री संजय भाटी एडवोकेट वादी

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टीए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी
1. यह कि कृषि भूमि ख.नं. 651/37 तादादी 4.5527 हैक्टेयर वा ख.नं. 652/37 तादादी 4.5527 हैक्टेयर रोही ढाढरिया बणीरातान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू अभिलेख क्षेत्र नाकरासर तहसील चूरू वादीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के साथ प्रस्तुत है।
2. उक्त भूमि दादालाई भूमि जो पहले वादीकण के पिता के नाम चली आ रही थी जो उनके देहान्त के पश्चात् अब वादीगण के नाम व कब्जा काश्त में चली आ रही है जो राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत व हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत के स्थान पर क्रमशः मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा अंकित कर दी इस गलत बन राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. दावे के समर्थन में वादीगण के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आबादी भूमि का पट्टा आदि प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. वादीगण को के.सी.सी. बनवाने व भूमि हस्तान्तरण करने की सूरत में पहचान दस्तावेज पेश करने होते है मगर राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम से दर्ज होने के कारण खातेदारी में दर्ज नाम का कोई दस्तावेज न होने के कारण कानूनी कठिनाई पैदा हो गई है तथा उक्तानुसार नाम संशोधन करने से किसी भी पक्षकार को कोई हानी होने की संभावना नहीं है।
5. वादी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवाया जिस पर पहले टालमटोल करते रहे परंतु दिनांक 23.12.2024 को ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया।
6. तहसीलदार चूरू को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:29 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि निवास स्थान फैरिकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र मुकर्रर शुदा कोर्टफीस पर पेश है।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा हाजा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निचे लिखे अनुसार स्वीकार किया जावेः–

(क) यह कि कि कृषि भूमि ख.नं. 651/37 तादादी 4.5527 हैक्टेयर वा ख.नं. 652/37 तादादी 4.5527 हैक्टेयर रोही ढाढरिया बणीरातान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान भू अभिलेख क्षेत्र नाकरासर तहसील चूरू में वादीगण का नाम खातेदारी में मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा निवासी ढाढरिया बणीरोतान की जगह मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा निवासी ढाढरिया बणीरोतान की जगह मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू वा हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा निवासी ढाढरिया बणीरोतान की जगह हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू दुरुस्त किया जवे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चूरू से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट तहसीलदार चूरू के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी मोहनसिंह पुत्र सगतसिंह की जाति दरोगा अंकित है, जबकि प्रार्थी हनुमानसिंह के घर का आबादी का पट्टा में पिता का नाम शक्तिसिंह उर्फ सगतसिंह के नाम है, उनमें जाति राजपूत अंकित है, उनमें जाति दरोगा अंकित है। वादी मोहनसिंह के घर के पट्टे में भी जाति राजपूत अंकित है। उक्त पट्टै ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये हुये है। हनुमानसिंह के मूल निवास में भी जाति राजपूत अंकित है। हनुमानसिंह व मोहनसिंह दोनों सगे भाई है। ग्राम के मोतबीर ने दोनों वादीगणों की जाति राजपूत बताई है।

तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम सही करवाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 651/37 मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह हिस्सा पूर्ण जाति दरोगाा निवासी ढाढरिया बणीरोतान खातेदार दर्ज है। जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 652/37 में हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह हिस्सा पूर्ण जाति दरोगाा निवासी ढाढरिया बणीरोतान खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत पट्टा संख्या 31 जारी दिनांक 20.09.2017 में पट्टा धारक का नाम श्री मोहनसिंह पुत्र श्री शक्तसिंह जाति राजपूत अंकित है। प्रस्तुत मूल निवासी स्थान प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.1998 में हनुमानसिंह पुत्र श्री शक्तिसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसीलदार चूरू जिला चूरू का मूल निवासी है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन से तथ्य परिलक्षित होते है कि वादीगण ने धारा 88 आरटीए के तहत दावा प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:29 IST
Reason: SelfAttested

कि कृषि भूमि के खसरा नंबर 651/37 (तादादी 4.5527 हैक्टेयर) और 652/37 (तादादी 4.5527 हैक्टेयर), जो कि रोही ढाढरिया बणीरोतान पटवार हल्का ढाढरिया बणीरोतान, भू अभिलेख क्षेत्र नाकरासर, तहसील चूरू में स्थित है, पर उनका अधिकार है। वादीगण का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में उनकी जाति को "दरोगा" के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि "राजपूत" के रूप में सही किया जाना चाहिए था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी खाता (संवत 2070–2073) जिसमें वादीगण के नाम पर जाति दरोगा के रूप में दर्ज है। आबादी भूमि का पट्टा (संख्या 31, दिनांक 20.09.2017) जिसमें मोहनसिंह पुत्र शक्तिसिंह जाति राजपूत के रूप में दर्ज है। मूल निवासी प्रमाणपत्र (दिनांक 03.09.1998):
हनुमानसिंह का मूल निवासी प्रमाणपत्र भी उनकी जाति राजपूत दर्शाता है। ग्राम पंचायत का प्रमाणपत्र जिसमें दोनों वादीगण की जाति राजपूत के रूप में सत्यापित की गई है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट जिसमें राजस्व रिकॉर्ड की गलती को स्वीकार किया गया है और सही जाति राजपूत के रूप में दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ग्राम के मोतबीर की गवाही जिन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों वादीगण सगे भाई हैं और उनकी जाति राजपूत है।

वादीगण ने प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम गलत तरीके से दरोगा दर्ज किया गया है, जबकि उनके परिवार की जाति राजपूत है। तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट और प्रमाणित दस्तावेज़ स्पष्ट करते हैं कि वादीगण की जाति राजपूत है और राजस्व रिकॉर्ड में गलती से दर्ज हुई त्रुटि को सुधारने की आवश्यकता है। राजस्व रिकॉर्ड में जाति की त्रुटि वादीगण के कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर रही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान के खेत खसरा नम्बर 651/37 में वादी का नाम मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा के स्थान मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत रोही ग्राम ढाढरिया बणीराता के खेत खसरा नम्बर 652/37 में वादी हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत घोषित किया जाता है। उक्त प्रकरण वादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया है तो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा वादीगण के खिलाफ पूर्व किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:29 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
उपखण्ड अधिकारी , मुकाम चूरू
पिठासीन अधिकारीः– श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. मेहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू
2. हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत निवासी ढाढरिया बणीरोतान तहसील वा जिला चूरू

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 136 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम ढाढरिया बणीरोतान के खेत खसरा नम्बर 651/37 में वादी का नाम मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा के स्थान मोहनसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत रोही ग्राम ढाढरिया बणीराता के खेत खसरा नम्बर 652/37 में वादी हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति दरोगा के स्थान पर हनुमानसिंह पुत्र सगतुसिंह जाति राजपूत घोषित किया जाता है। उक्त प्रकरण वादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया है तो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा वादीगण के खिलाफ पूर्व किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28 माह मार्च सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:28:29 IST
Reason: SelfAttested